FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सरपंच ग्राम पंचायत हरदास का बास बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा – विविध प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट,   मुकदमा नम्बर – 129/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.12.2023	प्रार्थीया श्रीमती अनोप कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत हरदास का बास के द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्तीकरण करवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरदास का बास में स्थित पुराना खसरा नम्बर 433 जो खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035 एंव सम्वत् 2036 से 2039 में सिवायचक आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसका नया खसरा नम्बर 361 रकबा 4.94 हैक्टर है। जिसकी किस्म गैर मुमकीन नदी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। जिसमें पूर्व में आबादी बसी हुई थी तथा वर्तमान में भी आबादी बसी हुई होने से उसे गैर मुमकीन नदी की जगह सिवायचक आबादी में परिवर्तन करवाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का हरदास का बास से जॉच रिपोर्ट चाही जाने हेतु मूल प्रार्थना पत्र की दस्ती दी गई। जिस पर पटवारी हल्का हरदास का बास ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच की जाकर जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पेश की गई। जिसें तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 1639/भू.अ./23 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित इस कार्यालय को भिजवाई गई है। जिसका अवलोकन करने पर पटवारी हल्का हरदास का बास ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम हरदास का बास के भूमि पुराने खसरा नम्बर 433 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा किस्म बजंड सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। पुराने खसरा नम्बर 433 के नवीन खसरा नम्बर 474 रकबा 0.10 हैक्टर, 475 रकबा 0.13 हैक्टर, 458 रकबा 0.01 हैक्टर, 459 रकबा 0.14 हैक्टर [illegible] किता 4 कुल रकबा 0.38 हैक्टर है। पुराने खसरा नम्बर 433 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का 1.04 हैक्टर रकबा बनता है। पुराने खसरा नम्बर के मुकाबले नये खसरा नम्बरों का 0.66 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है। खसरा नम्बर 361	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	रकबा 4.94 हैक्टर गैर मुमकीन नदी दर्ज रिकार्ड है। जिसमें रकबा 0.66 हैक्टर रकबा कम होने एवं को खसरा नम्बर 361 में शामिलित कर दिये जाने बाबत अंकित किया है। भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 4.94 हैक्टर में से रकबा 0.66 हैक्टर कम कर सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य है। पूर्व में गैर मुमकीन नदी का रकबा 4.28 हैक्टर दर्ज रिकार्ड था तथा मौके पर आबादी बसी होना अंकित किया है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित करते हुए दुरूस्तीकरण किये जाने की अभिशंषा पटवारी हल्का हरदास का बास द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। पटवारी हल्का की जाँच रिपोर्ट को तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1639 / भू.अ. / 23 दिनांक 20.09.2023 के द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है।
	हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नजरी नक्शा ट्रेस सम्वत् 2036 व नया नजरी नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, 2027 से 2030, जमाबन्दी आधार वर्ष 2042, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी नकल मिलान क्षेत्रफल व खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2027, ग्राम हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, राजस्व ग्राम हरदास का बास की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045, 2046, 2047, 2048, 2050, 2051, 2052, 2053, प्रस्तावित नजरी नक्शा जिसमें लाल स्याही से दर्शित किया गया, पटवारी हल्का हरदास का बास की रिपोर्ट व इसके संलग्न नक्शा ट्रेस इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया।
	जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर के पुराने भूमि खसरा नम्बर 433 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा की किस्म ... दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त पुराने भूमि खसरा नम्बर 433 के नवीन खसरा नम्बर 474 रकबा 0.10 हैक्टर, 475 रकबा 0.13 हैक्टर, 458 रकबा 0.01 हैक्टर, 459 रकबा 0.14 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 हैक्टर बनना प्रकट होता है जबकि उक्त पुराने भूमि के रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का नवीन हैक्टर प्रणाली में रकबा 1.04 हैक्टर बनता है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

स्थान: ग्राम हरदास का बास, स्थान: भूमि ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अ०प्र० पत्र p6CR मुक० – 129/2023	

नये खसरा नम्बरों में 0.66 हैक्टर कम रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त कम हुआ रकबा 0.66 हैक्टर खसरा नम्बर 361 के रकबा 4.94 हैक्टर गैर मुमकीन नदी में सम्मिलित कर दिया जाना पटवारी हल्का हरदास का बास की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। उक्त खसरा नम्बर 361 रकबा 4.94 हैक्टर में से 0.66 हैक्टर भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी से कम की जाकर कम किये जाने वाले रकबे 0.66 हैक्टर की किस्म सिवायचक दर्ज किया जाना तथा उक्त भूमि के मौके पर आबादी बसी हुई होना प्रमाणित होता है। पूर्व में गैर मुमकीन नदी का कुल रकबा 4.28 हैक्टर दर्ज रिकार्ड होना पटवारी हल्का हरदास का बास की रिपोर्ट से स्पष्टतः प्रकट होता है। पटवारी हल्का हरदास का बास ने अपनी रिपोर्ट में उक्त कम किये जाने वाले रकबे को संलग्न किये गये नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित करते हुए प्रस्तावित किया है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा किस्म गैर मुमकीन नदी की भूमियों में किसी भी प्रकार के आवंटन, नियमन इत्यादि किये जाने पर पूर्ण रूपेण से प्रतिबंधित कर रखा होने से उक्त गैर मुमकीन नदी की भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी के अन्तर्गत आना पाई जाती है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम हाथीदेह जिसका नवीन ग्राम हरदास का बास के पुराने नम्बरों से बने नये नम्बरों में भूमि का रकबा 0.66 हैक्टर कम किया जाकर उसकी किस्म गैर मुमकीन नदी के स्थान पर वापिस किस्म सिवायचक किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत आना पाया जाता है।

पटवारी हल्का हरदास का बास ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर वर्तमान में आबादी बसी हुई होने से ... रकबा 0.66 हैक्टर खसरा नम्बर 361 में अधिक दर्ज हो ... से ... खसरा नम्बर 361 रकबा 4.94 हैक्टर में से ... कम किया जाकर इसके स्थान पर रकबा 4.28 हैक्टर गैर मुमकीन नदी दर्ज किये जाने एंव रकबा 0.66 हैक्टर की किस्म सिवायचक आबादी भूमि के रूप में काम में आने से उक्त रकबे 0.66 हैक्टर की किस्म राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:37 IST
Reason: SelfAttested

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

[illegible] ग्राम पंचायत हरदास का बास बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वि०प्रा० पत्र 136 LR क्र.नं. - 129/2023	

4611/रीडर
15-12-2023

करते हुए संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शितानुसार पटवारी हल्का हरदास का बास व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर लाल स्याही से दर्शितानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Rathore
14/12/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(नीमकाथाना)

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.20 11:23:37 IST
Reason: SelfAttested